न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ,चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः टी.ए. 34/2019

पंजीयन दिनांकः 12.12.2019

1. कलावती पत्नि कैलाश चन्द जाति सुथार निवासी जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. सपना पुत्री कैलाश चन्द जाति सुथार निवासी जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. ज्योति पुत्री कैलाश चन्द जाति सुथार निवासी जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. सोनिया पुत्री कैलाश चन्द जाति सुथार निवासी जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टगण

बनाम

1. चतरभुज पिता गोकल जाति सुथार निवासी जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. रामचन्द्र पिता गोकल जाति सुथार निवासी जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. रतनलाल पिता गोकल जाति सुथार निवासी जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. सत्यनारायण पिता गोकल जाति सुथार निवासी जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
5. परसराम पिता चतरभुज जाति सुथार निवासी जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
6. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 357/2017 मु0 प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.05.18

उपस्थित वक्त बहस

1. छोगालाल जाट- अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. खुमराज कुमावत-अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट- 1 व 2
3. रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 6

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांक 30.11.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलान्टगण प्रार्थियागण ने रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र पैतृक कृषि आराजीयात मे घोषणा बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। जिसके प्रकरण सं. 224/2001 दर्ज होकर उक्त वादपत्र तलबी मे विचाराधीन था। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 13.02.2007 को रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा है। दिनांक 07.05.2007 को प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने जवाबदावा पेश किया है। आयन्दा तारीख पेशी 27.06.2007 नियत की गई। अपीलान्टगण वादीगण के अधिवक्ता ने अपीलान्टगण वादीगण को आश्वासन कर रखा था कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तामील व जवाबदावे मे चल रही है। उनकी आवश्यता होगी तो तब उन्हे सूचना देकर बुलवा लेगे। अपीलान्टगण वादियागण अपने अधिवक्ता के आश्वासन पर रही परन्तु अधिवक्ता ने अपीलान्टगण वादियागण को किसी प्रकार की सूचना नही दी। अपीलान्टगण वादियागण के अधिवक्ता ने दिनांक 27.06.2007 को अपीलान्टगण वादियागण को जानकारी के बिना अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन वादपत्र को नोटप्रेस कर दिया। अपीलान्टगण वादियागण के अधिवक्ता के द्वारा नोट प्रेस किये जाने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टण वादियागण का वादपत्र निरस्त कर दिया। अपीलान्टगण वादियागण के अधिवक्ता ने नोटप्रेस किये जाने से पूर्व अपीलान्टगण वादियागण को किसी प्रकार की पंजीकृत सूचना के द्वारा सूचित नही किया गया न ही सूचना पत्र की पावती अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का दायित्व था कि यदि अधिवक्ता द्वारा नोटप्रेस अथवा हिदायत पैरवी नही होना कथन किया जाता है तो न्यायालय को पक्षकारान को अपने स्तर पर सूचना पत्र जारी किया जाना चाहिये। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण वादियागण के वादपत्र को अधिवक्ता के हिदायत पैरवी नही होने के आधार पर निरस्त कर दिया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलान्टगण वादियागण के वादपत्र को हिदायत पैरवी नही होने के आधार पर निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलान्टगण प्रार्थियागण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उक्त वादपत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। उक्त पत्रावली वास्ते जवाब व तामील हेतु विचाराधीन थी। बिना अपीलान्टगण प्रार्थियागण को सूचित किये उक्त पत्रावली दिनांक 16.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जालमपुरा मे नियत की गई। जिसमे अपीलान्टगण प्रार्थियागण को किसी प्रकार की सूचना नही होने से अपीलान्टगण प्रार्थियागण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा गठित लोक अदालत मे उपस्थित नही हुई। न ही किसी प्रकार का कोई लिखित राजीनामा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत हुआ। बिना सूचना के रेस्पोडेन्ट सं. 2 की उपस्थिति दर्ज कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलान्टगण प्रार्थियागण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को म्याद बाहर मानते हुए निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रार्थियागण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की है।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रार्थियागण की ओर से रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अपीलान्टगण प्रार्थियागण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण प्रार्थियागण ने अपील म्याद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता अपीलान्टगण प्रार्थियागण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने से अपीलान्टगण प्रार्थियागण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण प्रार्थियागण की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्टगण प्रार्थियागण ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण प्रार्थियागण ने पैतृक कृषि आराजीयात की घोषणा बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र जो अपीलान्टगण प्रार्थियागण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रकरण सं. 224/2001 जरिये अधिवक्ता विचाराधीन होकर वास्ते जवाब व तामील मे नियत था। उक्त वादपत्र जो जरिये अधिवक्ता पैरवी विचाराधीन था। उक्त वादपत्र मे अपीलान्टगण प्रार्थियागण के अधिवक्ता अपीलान्टगण प्रार्थियागण को बिना सूचना दिये हिदायत पैरवी नही होना अंकित कर दिया। उसी के आधार पर अपीलान्टगण प्रार्थियागण को बिना सूचना दिये उक्त वादपत्र को नोटप्रेस मे निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्टगण प्रार्थियागण की ओर से मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे तारीख पेशी दिनांक 18.05.2018 नियत होते हुए तारीख पेशी से पूर्व दिनांक 16.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जालमपुरा मे नियत की गई। उक्त पत्रावली मे बिना किसी लिखित राजीनामे के रेस्पोडेन्ट सं. 2 विपक्षी की उपस्थिति अंकित कर अपीलान्टगण प्रार्थियागण के प्रार्थना पत्र को बिना किसी लिखित राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टगण प्रार्थियागण का प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होना मानते हुए निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से अपीलान्टगण प्रार्थियागण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 विपक्षीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलान्टगण प्रार्थियागण ने दिनांक 27.06.2007 को जो वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय के द्वारा निरस्त किया गया उसकी 11 वर्ष पश्चात् वादपत्र को पुनः नम्बर पर लिवाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो म्याद बाहर था जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण प्रार्थियागण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विधिसम्मत निरस्त किया है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय मे जो अपील प्रस्तुत की गई है वह भी म्याद बाहर है। विवादित कृषि आराजीयात जिसके सम्बन्ध मे अपीलान्टगण प्रार्थियागण ने वादपत्र प्रस्तुत किया है। उक्त कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्रभावी है। राजस्व लोक अदालत मे उभयपक्षकारान उपस्थित रहे है जिनको सुना जाकर अपीलान्टगण प्रार्थियागण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय पारित किया है वह विधिसम्मत आदेश है। रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण सं. 1 व 2 की ओर से अपील मे आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायालय मे प्रस्तुत याचिका की फोटो प्रतियां प्रार्थना के साथ प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलान्टगण प्रार्थियागण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 6 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 16.05.2018 जिसमे अपीलान्टगण प्रार्थियागण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्टगण प्रार्थियागण की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की ओर से प्रस्तुत बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्टगण प्रार्थियागण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण सं. 357/2017 मु0 दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 5 की ओर से दिनांक 04.01.2018 को अधिवक्ता उपस्थित हुए। जवाब हेतु अवसर चाहा व शेष रेस्पोडेन्टगण की तामील हेतु आगामी तारीख पेशी नियत की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 18.05.2018 को वास्ते जवाब व तामील हेतु विचाराधीन थी। बिना सूचित किये तारीख पेशी के पूर्व उक्त पत्रावली दिनांक 16.05 2018 को राजस्व लोक अदालत मे नियत की जाकर बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत के तहत रेस्पोडेन्ट सं. 2 की उपस्थिति दर्ज कर अपीलान्टगण प्रार्थियागण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को म्याद बाहर होना मानते हुए गुणावगुण के आधार पर निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है। दोराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी के प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ की फोटो प्रति व माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन रीट याचिका की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है। जो प्रमाणित प्रतियां नही होने से रेकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित नही होकर रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दिवानी अस्वीकार किया जाता

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

है। अपीलान्ट्गण प्रार्थियागण की ओर से अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे वादपत्र जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र जवाबदावे मे विचाराधीन था। जवाबदावे मे विचाराधीन वादपत्र को अपीलान्ट्गण प्रार्थियागण के अधिवक्ता ने अपीलान्ट्गण प्रार्थियागण को बिना सूचना दिये हिदायत पैरवी नही होना जाहिर कर दिया। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का दायित्व था कि अपीलान्ट्गण प्रार्थियागण को इसकी सूचना प्रेषित करवाकर हिदायत पैरवी नही होने पर आदेश पारित करते परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने दायित्वो से हटकर हिदायत पैरवी नही होने के आधार पर अपीलान्ट्गण प्रार्थियागण का वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित कर दिया था जिसके विरूद्ध अपीलान्ट्गण प्रार्थियागण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पुनः वादपत्र को नम्बर पर लिवाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उक्त प्रार्थना पत्र अपीलान्ट्गण प्रार्थियागण का जवाब व तामील मे नियत होकर आगामी तारीख पेशी 18.05.2018 नियत थी। उससे पूर्व ही बिना अपीलान्ट्गण प्रार्थियागण को सूचना दिये नियत तारीख पेशी से पूर्व राजस्व लोक अदालत मे नियत किया जाकर अपीलान्ट्गण प्रार्थियागण की उपस्थिति होना मानते हुए अपीलान्ट्गण प्रार्थियागण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को क्याद बाहर होना मानते हुए निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत नही होने से अपीलान्ट्गण प्रार्थियागण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने याग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट्गण प्रार्थियागण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 357/2017 मु0 प्रार्थना पत्र निर्णय व आदेश दिनांक 16.05.2018 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट्गण प्रार्थियागण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण मे अपीलान्ट्गण प्रार्थियागण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र सं. 224/2001 रेवेन्यू वाद बअनवान कलावती वगैरह बनाम चतरभुज वगैरह मे पारित निर्णय दिनांक 27.06.2007 निरस्त ,केया जाकर उक्त वादपत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाकर वादपत्र मे प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्गण का जवाबदावा लिया जाकर पत्रावली मे अभिवचनो के अनुसार तनकियात कायम कर तनकीवार गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। उभयपक्षकारान वाद सं. 224/2001 मे सुनवाई हेतु दिनांक 26.12.2022 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे स्वंय उपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त वादपत्र का उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए 6 माह मे यथाशीघ्र निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)